भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1220

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कच्चे तंबाकू का स्वास्थ्य पर प्रभाव

1220. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कच्चे तंबाकू के संपर्क में आने से महिला बीड़ी श्रमिकों और उनके बच्चों में कई स्वास्थ्य संबंधी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मानव जाति पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश मैं विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आयुष्मान भारत योजनाकिसी अन्य प्रकार के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत किसी बीड़ी श्रमिक को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) मंत्रालय ने “बीड़ी धूम्रपान और जन स्वास्थ्य”, 2008 नामक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है जिसमें बीड़ी बनाते करते समय बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य पर व्यावसायिक खतरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। बीड़ी कामगारों और उनके बच्चों पर कच्चे तम्बाकू के प्रभाव का विस्तार से उल्लेख यहां उपलब्ध है: (https://ntcp.mohfw.gov.in/assets/document/Monograph%20on%20Bidi%20Smoking%20and%20Public%20Health.pdf) मोनोग्राफ में किया गया है।

वर्ष 2023 में बीएमजे ग्लोबल हेल्थ में डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन "भारत में बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे: एक कार्य-क्षेत्र समीक्षा" भारत में बीड़ी

कामगारों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य अवस्थाओं पर मौजूदा प्रमाण का आकलन करता है। अध्ययन रिपोर्ट (https://gh.bmj.com/content/8/11/e012413) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो भारत की आबादी के निचले 40% वाले 12 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। एबी पीएम-जेएवाई को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लाभार्थी बेस का और अधिक विस्तार किया है। बीड़ी कामगारों सहित कोई भी व्यक्ति जो पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा डेटाबेस में सूचीबद्ध है, इस योजना के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या लाभ के हकदार हैं।

दिनांक 7 फरवरी 2024 तक, गरीब और कमजोर व्यक्तियों के लिए इस योजना के तहत लगभग 31.08 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में क्रमशः 9.3 करोड़ और 8.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभार्थियों के लिए कोई 'बीड़ी कामगार' फ्लैग उपलब्ध नहीं है।

*****